# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर0ए0एस0

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 16/2024 | 05/07/2024 | 30/05/2025 |

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) पीपल्दा, जिला कोटा

– प्रार्थी–

बनाम

1. रामचरण मीना पुत्र श्री गोरधनलाल मीना निवासी इटावा तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राजस्थान

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
इन्द्रजीत मीना अप्रार्थी की ओर से

निर्णय
दिनांक– 30/5/25

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार (भू०अभि०) पीपल्दा जिला कोटा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/925 दिनांक 28–6–2024 से खातेदार रामचरण पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी ग्राम इटावा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1251, 1252 एवं 3037–1251 कुल किता तीन कुल रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि में से रकबा 0.84 हैक्टयर भूमि पर कच्चे पक्के मकानात बने होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे अप्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा अप्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा नम्बर 1252 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.76 हैक्टर कृषि भूमि पर धारा 177 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार पीपल्दा व पटवार हल्का इटावा की रिपोर्ट में वर्णित तथ्य निराधार व अवैधानिक होने से स्वीकार नही है। ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की खसरा संख्या 1251 रकबा 0.76 हैक्टर व खसरा संख्या 1252 रकवा 1.00 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.76 हैक्टर भूमि अप्रार्थी रामचरण पुत्र गोरधन जाति मीणा निवासी इटावा व अप्रार्थी की बहने रामप्यारी व कैलाशी के संयुक्त खाते की कृषि आराजी थी, कैलाशी व रामप्यारी द्वारा हकत्याग करने पर उक्त आराजी अप्रार्थी रामचरण की खातेदारी मे चली आ रही है, वर्ष 2007 मे कुछ व्यक्तियो द्वारा अप्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा व व्यवधान उत्पन्न किया जाने लगा तो अप्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मे बउनवान रामचरण बगैहरा बनाम कान्हा व अन्य मिसल नम्बर 110/2007 पेश किया गया जिसमें दिनांक

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी

12–02–2008 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तथा मूल वाद का निर्णय दिनांक 28–12–2020 को किया जाकर अप्रार्थी रामचरण वगै० के पक्ष मे निर्णय पारित करते हुये डिक्री जारी की गई। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–12–2020 की पालना हेतु अप्रार्थी रामचरण बगैहरा द्वारा एक इजराय माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा मे पेश की गई जो वर्तमान मे जेरकार है निर्णय व डिक्री मे स्पष्ट किया हुआ है कि उक्त कृषि आराजी मे दौराने वाद वादीगण, (अप्रार्थी) रामचरण बगै० के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12–02–2008 के वाद से न्यायालय से जारी स्थगन आदेश के बावजूद उक्त आराजी पर जबरन व ताकत के बल पर किया गया अवैध अतिक्रमण से बेदखली एवं आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जावें। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–12–2020 की पालना हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा कई बार पत्र जारी किये गये लेकिन तहसीलदार पीपल्दा द्वारा इजराय की पालना नही करवाई जा रही है तथा अवैधानिक व निराधार तरीके से पटवार हल्का इटावा द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी रामचरण की उक्त कृषि आराजी पर धारा 177 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया हे जो गैर–कानूनी व अवैधानिक होने से चलने योग्य नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 एल.आर.एक्ट खारिज किये जाने योग्य हैं। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.02.2008 के बावजूद भी वाद में पक्षकार प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिनिधियो द्वारा चोरी–चुपके अप्रार्थी रामचरण की कृषि आराजी पर अवैध निर्माण किया गया है। जिसकी सुचना कई बार अप्रार्थी रामचरण द्वारा थाना इटावा, तहसीलदार पीपल्दा, व उच्च अधिकारियो को दी गई लेकिन ताकत के बल पर अवैध निर्माण करते रहे तथा प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी किये स्थगन आदेश की अवहेलना वाद में पक्षकार प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनिधियो द्वारा लगातार की गई है। जिनके विरूद्ध अप्रार्थीगण रामचरण द्वारा कोर्ट ऑफ कन्टैप्ट की कार्यवाही माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय इटावा मे पेश की गई जो जेरकार है। उक्त कृषि आरजीयात् पर वर्णित अवैध निर्माण मेरे (अप्रार्थी) द्वारा न किया जाकर अतिकमियो द्वारा किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र अनतर्गत धारा 177 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही पोषणीय नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार पीपल्दा द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय इटावा मे जेरकार इजराय की पालना को विलम्ब करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है जो बैबुनियाद व आधाहीन होने से चलने योग्य नही है। इसलिये कानिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 एल.आर.एक्ट को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी की ओर से मौका रिपोर्ट व अन्य पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

जवाब के समर्थन मे अप्रार्थी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा का निर्णय दिनांक 28.12.2020 की नकल, एस.डी.ओ. इटावा के पत्र दिनांक 20.12.2023, तहसीलदार पीपल्दा का पत्र दिनांक 05.06.2020, नोटिस दिनांक 20.02.2023, जिला कलेक्टर कोटा पत्र दिनांक 03.01.2024, जिला कलेक्टर कोटा पत्र दिनांक 19.01.2024, जिला कलेक्टर कोटा पत्र दिनांक 30.05.2024, प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2024, तहसीलदार पीपल्दा पत्र दिनांक 07.12.2022, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पत्र दिनांक 27.07.2020, आदेशिका स्थगन आदेश प्रति दस्तावेज पेश किए है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण बहस सुनी गई।

राजकीय पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का उपयोग कृषि कार्य से भिन्न कच्चे व पक्के मकानात बना कर आवासीय प्रयोजनार्थ किया जा रहा है, जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने एवं वेदखली के आदेश पारित किये जावे। अपनी बहस के समर्थन में राजकीय पैराकार कोई न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नही किये है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी उनके पक्षकार की खातेदारी की भूमि है तथा दीगर व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर अप्रार्थी रामचरण की ओर से उपखण्ड अधिकारी, इटावा के न्यायालय में वर्ष 2007 में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रभाव में रहते अनाधिकृत कब्जा करने पर आदेशों की अवमानना की कार्यवाही भी की गयी। उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा उक्त वाद निर्णय दिनांक 28–12–2020 से स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। साथ ही दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12–02–2008 के बाद से किये गये अवैध अतिक्रमण बाबत् वेदखली के आदेश भी पारित किये गये। उनका तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना हेतु विभिन्न स्तरों पर अप्रार्थी द्वारा प्रयास किये गये किन्तु किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी और तहसीलदार द्वारा वादी अप्रार्थी के विरूद्ध ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर दिया, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी न्यायिक दृष्टान्त KANIZ AHMED Petitioner(s) VERSUS SABUDDIN & ORS- Respondent (s) SUPREME COURT OF INDIA JUDGMENT 30th APRIL 2025. हम प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अधोपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। अप्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्तों की रोशनी मे प्रकरण का परीक्षण किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम इटावा के खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1252 रकवा 1.00 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 3033/1251 रकबा 0.19 हैक्टयर कुल किता तीन रकबा 1.44 हैक्टयर में से 0.84 हैक्टयर भूमि पर अवैध निर्माण करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रामचरण आदि द्वारा उपखण्ड अधिकारी, इटावा के न्यायालय में समान आराजी बाबत् एक याद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत प्रतिवादीगण कान्हा, हीरा, नारायण, लड्डू, मदन, कल्याण, राधेश्याम एवं छीतर लाल के विरूद्ध वर्ष 2007 में इस आश्य का पेश किया गया था कि उक्त आराजियात खसरा नम्बर 1251, 1252 पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास करते हुए अवैध निर्माण किया जा रहा है। उक्त वादपत्र पर उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, इटावा द्वारा दिनांक 7–6–2007 एवं दिनांक 25–6–2009 को सीमाज्ञान करवाते हुए आराजी जैर पर प्रतिवादीगण द्वारा

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अनाधिकृत कब्जे को स्वीकार करते हुए वादीगण के बाद को उपखण्ड अधिकारी, इटावा द्वारा दिनांक 28–12–2020 को स्वीकार करने हुए यह अभिलिखित किया गया कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है एवं प्रतिवादीगण एवं अनके अन्य प्रतिनिधि को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण को वाके ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा की कृषि आराजी खसरा नं0 1251 रकबा 0.76है0 व ख0नं0 1252 रकबा 1.00है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.76है0 भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त कृषि कार्य में किसी प्रकार की बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, उक्त विवादित भूमि में प्रवेश नहीं करें, ऐसा न तो स्वयं करे और नहीं ही अपने किसी प्रतिनिधि अथ्वा एजेन्टों से करावे तथा दौरान वाद वादीगण प्रार्थीगण के पक्ष जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.02.2008 के बाद से न्यायालय से जारी स्थगन आदेप के बाबजूद विवादित आराजी पर जबरन एवं ताकत के बल पर किये गये अवैध अतिकमण से बैदखली एवं आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

इस प्रकार उपरोक्त वादपत्र के माध्यम से विवादग्रस्त आराजी पर बतौर काबिज अतिकमियों को बेदखली के आदेश प्रदान किये गये थे। प्रकरण में उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार रामचरण के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में नजरी नक्शा अंकित है, उसमें भी जो कब्जा अथवा निमार्ण किया अंकित किया गया है, उक्त कब्जा निर्माण भी अतिक्रमियों द्वारा किया जाना दर्शित है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, इटावा ने तहसीलदार, पीपल्दा से मिसल संख्या–16/2024 बउनवानी सरकार बनाम रामचरण (धारा 177 के मूल वाद) में पत्र दिनांक 24–2–2025 के माध्यम से रिपोर्ट चाही गयी, जिसके कम में तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 09–05–2025 की मद संख्या–2 में यह अभिलिखित किया गया है कि उक्त आराजी के अधिकाशं भाग पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कच्चे पक्के मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर अवैध निर्माण वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार रामचरण द्वारा नहीं किया जाकर अतिक्रमियों द्वारा किया गया है।

प्रकरण में यह भी उल्लेखनिय है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामचरण ने उपखण्ड अधिकारी, इटावा के निर्णय व डिकी दिनांक 28–12–2020 की पालना इजराय में अतिकमियों को आराजी से बेदखल करने बाबत् समय समय पर उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किये गये है, जिससे स्पष्ट होता है कि खातेदार स्वयं द्वारा विवादित आराजी से अतिकमियों को बेदखल करना चाहता है। इस प्रकार राजस्थान टीनेसी एक्ट 1955 की धारा 177 ए व बी में वर्णित शर्तो का उल्लघन खातेदार द्वारा स्वयं नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त भूमि बाबत् खातेदार रामचरण के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह भी निहित है कि एक तरफ तो मूल खातेदार द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजी से अतिकमियों को बेदखल करवाने की कार्यवाही की गयी है वही दूसरी तरफ समान न्यायालय से मूल खातेदार के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

–आदेश–

परिणामतः तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1251, 1252 एवं 3037/1251 कुल किता तीन कुल रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि में से रकबा 0.84 हैक्टयर भूमि बावत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित किया गया।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

इटावा